न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/50/2015 तारीख रजु 10.06.2015

उनवान

मुंशी पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव बगैरह् निवासी बंध का नगला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

---------वादी03

बनाम

धर्मपाल पुत्र स्व0 हरि जाति जाटव बगैरह् निवासी बंध का नगला तह0 हिण्डौन जिला करौली ।

-----प्रतिवादी (42)

उपस्थितिः–

वादीगण की ओर से :– श्री बनवारी लाल गोस्वामी एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :–कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेद्याज्ञा ग्राम बंध का नगला तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1075,1076,1083,के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार–बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 50/2015 मुंशी बनाम धर्मपाल अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 18:35:11 IST
Reason: SelfAttested